संख्या– 359 /71–3–2004–सी0एम0यू0–31/2002

क,

पी0एन0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

98.C(41)
6–2–04

में,

कुलसचिव,
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

त्सा शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ:दिनांक 5 फरवरी,2004

य: चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में नई विशिष्टता के खोले जाने वाले विभागों हेतु सृजित पदों में से कतिपय विभागों के लिए कतिपय सृजित पदों को समाप्त करते हुए सर्जिकल इमरजेंसी ट्रामा सेण्टर के तत्काल संचालन हेतु कतिपय पदों का सृजन किया जाना।

दय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2667/जी0ए0 दिनांक 10.06.2003 के संदर्भ में नादेश संख्या–685/71–3–2003–सी0एम0यू0–31/2002 दिनांक 03 मई, 2003 के म में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय किंग जार्ज चिकित्सा विद्यालय में नई विशिष्टता के खोले जाने वाले 12 विभागों में से कुल 10 विभागों थ चिकित्सा विभाग, पुनः उत्पादक एवं जनसंख्या नियंत्रण/अनुसंधान केन्द्र विभाग, टिक्स विभाग, पोषण अनुसंधान केन्द्र/विभाग, जीन थिरेपी माली कुलर बायोलॉजी ा, रोबोटिक सर्जरी विभाग, इम्यूनोलोजी विभाग, बायोइन्फारमेटिक्स विभाग, इम्यूनोलोजी क्लीनिकल एपीडयूनोलोजी विभाग तथा पर्यावरण एवं प्रदूषण शोध विभाग) हेतु सृजित सर के कुल 10 पद वेतनमान 14300–400–18300, असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 20पद मान रू0 10000–325–15200 तथा कनिष्ठ लिपिक के कुल 10 पद वेतनमान रू0 –75–3950–80–4590 अर्थात कुल 40 पदो को समाप्त करते हुए सर्जिकल इमरजेंसी सेण्टर के तत्काल संचालन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार सिस्टर के 10, स्टाफ नर्स 3, ओ0टी0 टैक्नीशियन के 8 तथा फिजियोथिरेपिस्ट के 4 पद कुल 75 पदों को सृजित जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

| क्रमांक | पद का नाम | कुल पदों की संख्या | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | सिस्टर | 10 | 5500--175--9000 |
| 2 | स्टाफ नर्स | 53 | 5000--150--8000 |
| 3 | ओ0टी0 टेक्नीशियन | 8 | 4000--100--6000 |
| 4 | फिजियोथिरेपिस्ट | 4 | 5500--175--9000 |
| | योगः-- | 75 | |

- उक्त पदों का सृजन इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से अथवा उन पर
नियुक्ति तिथि से जो भी बाद में हो, से दिनांक 29 फरवरी, 2004 तक के लिए है, बशर्ते कि
न्हें इससे पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाए।

- उक्त सृजित पदों पर नियुक्ति में पदों के लिए अर्हता आदि का अनुपालन सुनिश्चित
कया जायेगा। तथा उक्त पदों पर नियुक्तियाँ आवश्यकतानुसार Work Load / 'Job
ssignment होने पर ही किया जाये।

- उक्त पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003--2004 में अनुदान
ख्या--31--चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखा शीर्षक
2210--चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य--आयोजनागत--05--चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा
नुसंधान--105--पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति--03--शिक्षा--66--छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा
श्वविद्यालय, लखनऊ हेतु--43--वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान" के नामे डाला
ायेगा।

- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या--ई--3-- 141 / दस--2004,
नांक 03 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

( पी0एन0 सिंह )
उप सचिव

ख्या-- 359 (1)/71--3--2003--तद्‌दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक
र्यवाही हेतु प्रेषितः--

महालेखाकार (लेखा प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
7. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग–4
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( पी0एन0 सिंह )
उप सचिव

कार्यालय कुल सचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

संख्या 9261 /जी.ए

दिनांक 19.2.2005

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1–वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
2–प्रभारी, गैर शैक्षिक अधिष्ठान, कार्यालय कुल सचिव।
3–प्रभारी पी जी [illegible]

( आर. पी. गोस्वामी )
कुल सचिव।